::1::

प्ररूप 12

{ नियम 34ख (1)(ख) देखिए }

संसाधकों व्दारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ (तम्बाकू के व्ययन या विक्रय के पश्चात् 15 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाए)

1	संसाधक का नाम	:
2	रजिस्ट्रीकरण सं.	:
3	पता	:

संसाधित वर्जीनियाँ तम्बाकू	संसाधित परिमाण	व्ययन		वह व्यक्ति जिसको व्ययन किया गया है	छूटा हुआ तम्बाकू
की किस्म		परिमाण	व्ययन की पद्धति	किया गया है	
				जोड:	

र्	भा	न:
=	.S	ਹਰਾ
а	יאו	ıvu.

(संसाधक के हस्ताक्षर)